न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-4RAAJodhpur2024-05RTA225 Rupee Vs Papparam etc

01. रूपी धर्मपत्नी श्री सांवलराम जी, जाति भील, निवासी- लाच्छा बासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
02. मनीष पुत्र ताजाराम, जाति भील, निवासी- खारड़ा मेवासा, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. पप्पाराम पुत्र सांवलराम
02. कंवराराम पुत्र सांवलराम
03. बरसिंगाराम पुत्र सांवलराम
04. छोटी देवी पुत्री सांवलराम
05. सुरेश पुत्र नैनाराम
06. महेन्द्र पुत्र नैनाराम
07. मंजू पुत्री नैनाराम
08. मेहरा देवी पत्नी नैनाराम
सभी जातियान् भील, निवासीगण- लाच्छा बासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
09. बैजुलाल पुत्र श्रीराम, जाति भील, निवासी- मेलावास, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
10. उप-पंजीयक महोदय, बावड़ी, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 सहायक कलक्टर बावड़ी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2023 पप्पाराम बनाम रूपी इत्यादि

उपस्थित-
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 11

<u>नि र्ण य</u>

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 30 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2023 अनवान पप्पाराम बनाम रूपी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 48/7, 5/3 व 82 ग्राम मैलावास तहसील बावड़ी के संबंध में धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 के जरिये प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण रे वादग्रस्त आराजी को उनके पूर्वजों की भूमि बताकर न्यायालय के समक्ष झूठा वाद प्रस्तुत किया। उक्त भूमि न तो सांवलराम की थी, न ही सांवलराम के पिता की थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पैतृक नहीं थी, इसलिए रेस्पेडेंट संख्या एक व दो वादग्रस्त आराजी में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त भूमि रूपी देवी के बड़े पिता खींयाराम जी के खातेदारी में थी एवं खींयाराम जी द्वारा वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी रूपी देवी के नाम दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुई। इसलिए उक्त भूमि में रूपीदेवी के जीवनकाल में उनके पुत्रों का कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। उक्त भूमि जब कभी भी सांवलराम जी या उनके पिता के नाम रही ही नही तो यह भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की पैतृक भूमि नहीं हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य सबूत के एवं पैतृक भूमि के दस्तावेज के जो स्थगन आदेश जारी किया है, वह उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। वादग्रस्त आराजी का कुछ भाग अपीलांट संख्या दो को रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये विक्रय किया गया है।रजिस्टर्ड बेचाननामा को निरस्त करवाये बिना भी वादीगण को वादग्रस्त आराजी मे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके अलावा खसरा नं. 48/7 की 12 बीघा भूमि भी जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र के छोटी देवी, सुआ देवी, सोहनी देवी व पिंकी को दान की जा चुकी है, जिन्हे जानबूझ कर प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आलौच्य आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जारी किया गया है। अपीलांट संख्या एक अनपढ, ग्रामीण स्त्री है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश अपीलांट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना में पत्र में किये कथनों पर विश्वास करते हुए मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 82 रकबा 1.1731 हैक्टेयर अपीलांट संख्या दो के नाम, खसरा नं. 5/3 रकबा 2.4270 हैक्टेयर अपीलांट रूपीदेवी एवं रेस्पोडेंट संख्या नौ के नाम तथा खसरा नं. 48/7 रकबा 1.9416 हैक्टेयर अपीलांट रूपी देवी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की पुश्तैनी होने के संबंध में कोई दस्जावेज उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस दस्तावेज के अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि-विरूद्ध एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा मामले के अंतिम निस्तारण हेतु प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2023 अनवान पप्पाराम बनाम रूपी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर